an>

title: Need to set a separate Ministry for the welfare of Other Backward Classes (OBCs).

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : सभापति महोदय, भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री पी.एल. पुनिया ने डा. ताजुद्दीन अंसारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 (10) के तहत ओबीसी की समस्याओं के निदान हेतु सुनवाई करने हेतु 11.04.2011 को अवैतनिक आधार पर नेशनल कोआर्डिनेटर-ओबीसी नियुक्त किया था। यह नियुक्ति अवैतनिक होने के बावजूद भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य सचिव एवं गृह सचिव आदि और वायरलैस विभाग को सुरक्षा, प्रोटोकाल, एस्कार्ट आदि व्यवस्था करने हेतु पत्र के माध्यम से आदेश जारी किए।

दिनांक 27 अगस्त, 2012 को ओबीसी संसदीय कमेटी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार की जाति आयोग में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 (10) के तहत ओबीसी की समस्याओं के निदान हेतु सुनवाई करने हेतु गलत ठहराया था। इसके बावजूद भी 27 अगस्त, 2012 के बाद डा. ताजुद्दीन अंसारी, नेशनल कोआर्डिनेटर-ओबीसी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वायरलैस विभाग को राज्य सरकारों के मुख्य सचिव एवं गृह सचिव आदि को सुरक्षा, प्रोटोकाल, एस्कार्ट आदि की व्यवस्था करने हेतु पत्र के माध्यम से आदेश जारी करते रहे।

मैं कहना चाहता हूं कि आयोग ने जो कोआर्डिनेटर की नियुक्ति की है, वह ओबीसी के लोगों पर अन्याय करते हैं। उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं हैं, फिर भी गृह मंत्रालय से उन्हें पूरा प्रोटोकाल दिया जाता है। सरकार की निधि का पैसा लूटा जाता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और ओबीसी के लिए अलग से मंत्रालय बनाकर उन्हें न्याय दिया जाए।